

विचार बिन्दु

घर का मोह कायरता का दूसरा नाम है। -अज्ञात

सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच का मामला आखिर है क्या?

ग गत कुछ दिनों से सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच का नाम खबू चर्चा में है। इंडियन नेशनल कॉर्पोरेशन ने कुछ दिनों पूर्व एक प्रेस कॉर्डेस को सेबी (Stock Exchange Board of India) की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच पर गंभीर अरोप लगाया। यह प्रेस वार्ता कॉर्प्रेस की ओर से पब्लिक ड्राइवर संबंधित की गई थी। इसके बाद दो-तीन और प्रेस वार्ताएं इस विषय पर की गई हैं।

इससे पहले कि हम माधवी पर लगे आरोपों के बारे में चर्चा करें, इनके बारे में कुछ जानकारी पाठकों को देना उपयुक्त होगा।

माधवी पुरी बुच की शिक्षा मूर्छे के फोर्ट कार्वेंट स्कूल डिल्ली के जीसस एंड मेरी कॉर्वेंट और स्टीफेस कॉर्लेज में हुई, जहां से इहोंने गणित में स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीबी की डिप्री प्राप्त की। यह कहा जा सकता है कि माधवी एक उच्च प्रतियोगिता साली महिला है। इहोंने 2007 से 2017 तक आई.सी.आई.सी.आई. में नौकरी की। इसके बाद बद्दु जुलाई 2018 से मार्च 2022 तक सेबी की निदेशक एवं मार्च 22 से वे सेबी के अध्यक्ष पर पर कार्रवाई की गई हैं।

कॉर्प्रेस ने आरोप लगाया था कि आई.सी.आई. सी.आई. की नौकरी छोड़कर, सेबी की पूर्ण कालिक निदेशक बनने के बाद भी इहोंने वहां से लगभग 1 लाख रुपये बैंक के रूप में प्राप्त किए जो इनकी सेबी से आरोपी के संबंध में माधवी पुरी बुच द्वारा तो अब तक कुछ नहीं कहा गया है किंतु आई.सी.आई. ने एक स्पैशियर कार्यक्रम को प्रेस नोट जारी किया कि माधवी पुरी बुच को आईसीसी द्वारा किसी प्रकार का बोक्स 2017 के बाद नहीं दिया गया। उन्हें केवल सेबीनिवासी लाप के रूप में ई सोप (Employees' Stock Ownership Plan) दिए गए। इसके अंतर्गत आईसीसीआई के शेयर प्राप्त हुए जब इनको बैच गया तो तें उनसे प्राप्त राशि के टैक्स रिटर्न में दिखाया गया, जिसे कॉर्प्रेस के बारे में बताया दिया गया।

सेबी, स्टॉक एक्सचेंज के नियमक का शेयर प्राप्त करता है। वहां प्राप्तक निदेशक बनने के बाद भी उन्होंने आईसीसीआई के शेयर अपने पास रखे और उनकी घोषणा तक भी नहीं की। यह एक घोर अनियमितता थी। यदि उनके द्वारा ऐसा किया जाता, तो उनका सेबी में बने रहना संभव नहीं था। यह आश्वर्य की बात है कि इस विषय में अभी तक सरकार या सेबी के निदेशक मंडल में से भी किसी ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी।

सामान्यतया, कोई ऐसी संस्था के पास काम कर रहा होता है, जिसे किसी कंपनी को कोई प्रकरण नियंत्रित करने का आवश्यक होता है, तो उस व्यक्ति का कंपनी में विसिनी प्रकार का कोई दिलचस्पी नहीं है। माधवी पुरी बुच के लिए यह स्पष्ट रूप से 'कॉर्पिलक्ट ऑफ इंटरेस्ट' का मामला था। इसके बारे में कोई सूचना उनके द्वारा सरकार को नहीं दी गई थी।

भारत कार्यकार के पूर्व वित सचिव सुधार पर्याप्त रूप, जिसे कॉर्प्रेस के निदेशक मंडल में थे, ने एक दी वी साक्षात्कार में बतायी बुच द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी सेबी में पद प्राप्त करते समय सरकार या निदेशक मंडल को नहीं दी गई। यदि यह जानकारी उस समय प्राप्त होती, तो वह इस पद को ग्रहण नहीं कर पाता, न इस पर बने रह सकती थी।

हिंडूबाबर्ग रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि माधवी पुरी का अंतर्गत कर्मचारी ने एक दी वी साक्षात्कार में बतायी बुच द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बारे में सेबी के निदेशक मंडल या इसके किसी भी सदस्य के द्वारा कोई स्पष्टीकरण अथवा प्रेस नोट जारी नहीं किया जाना, आश्वर्यजनक है। कुछ वर्ष पूर्व जब आईसीसीआई की पूर्व अध्यक्ष चंद्रा को चर के विरुद्ध कुछ अरोप लगे तो वे अपने पद से अलग हुई और बाहर के निदेशक मंडल ने उन पर एक जांच कर्मी नियुक्त की, जिसके आरोपों को सही माना। परिणामस्वरूप, उन्हें न केवल अपना पद छोड़ना पड़ा बल्कि उनके ऊपर अपराधिक प्रकरण पूरी रूप से दिखाया गया।

आई.सी.आई. सी.आई. की बाकी नौकरी छोड़ने के बाद नहीं लिया जाए कि माधवी पुरी बुच ने कोई वेतन आई.सी.आई. की नौकरी छोड़ने के बाद नहीं लिया जाए। वह भी यह सच्चा है कि माधवी पुरी को आरोप लगाया गया है कि माधवी पुरी का अंतर्गत कर्मचारी को एक दी वी साक्षात्कार में बतायी बुच द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बारे में सेबी के निदेशक मंडल या इसके किसी भी सदस्य के द्वारा कोई स्पष्टीकरण अथवा प्रेस नोट जारी नहीं किया जाना, आश्वर्यजनक है।

इस बारे में सेबी के निदेशक मंडल या इसके किसी भी सदस्य के द्वारा कोई स्पष्टीकरण अथवा प्रेस नोट जारी नहीं किया जाना, आश्वर्यजनक है। कुछ वर्ष पूर्व जब आईसीसीआई की पूर्व अध्यक्ष चंद्रा को चर के विरुद्ध कुछ अरोप लगे तो वे अपने पद से अलग हुई और बाहर के निदेशक मंडल ने उन पर एक जांच कर्मी नियुक्त की, जिसके आरोपों को सही माना। परिणामस्वरूप, उन्हें न केवल अपना पद छोड़ना पड़ा बल्कि उनके ऊपर अपराधिक प्रकरण पूरी रूप से दिखाया गया।

आई.सी.आई. सी.आई. की बाकी नौकरी छोड़ने के बाद नहीं लिया जाए कि माधवी पुरी बुच ने कोई वेतन आई.सी.आई. की नौकरी छोड़ने के बाद नहीं लिया जाए। वह भी यह सच्चा है कि माधवी पुरी को आरोप लगाया गया है कि माधवी पुरी का अंतर्गत कर्मचारी को एक दी वी साक्षात्कार में बतायी बुच द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बारे में सेबी के निदेशक मंडल या इसके किसी भी सदस्य के द्वारा कोई स्पष्टीकरण अथवा प्रेस नोट जारी नहीं किया जाना, आश्वर्यजनक है।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के निदेशक मंडल द्वारा तत्काल एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी।

ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के निदेशक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के निदेशक मंडल द्वारा तत्काल एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी। ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के निदेशक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के निदेशक मंडल द्वारा तत्काल एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी। ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के निदेशक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के निदेशक मंडल द्वारा तत्काल एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी। ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के निदेशक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के निदेशक मंडल द्वारा तत्काल एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी। ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के निदेशक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के निदेशक मंडल द्वारा तत्काल एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी। ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के निदेशक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के निदेशक मंडल द्वारा तत्काल एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी। ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के निदेशक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के निदेशक मंडल द्वारा तत्काल एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी। ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के निदेशक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के निदेशक मंडल द्वारा तत्काल एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी। ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के निदेशक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के निदेशक मंडल द्वारा तत्काल एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी। ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स को अल्टीमेटम दिया

**सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटें वरना
राज्य सरकार दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है**

-जाल खंबाला-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों और सभी अधिकारी डॉक्टर्स को दो दिन अर्थात् मंगलवार शाम 5 बजे तक का टाइम दिया है और कहा है कि इसके बाद राज्य सरकार डॉक्टरी पर नहीं आने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होंगे।

चांफ रेसिंग डी.वी.यू. चंद्रचूड की अधिकारी वाली बैंच जिसमें जरिस जे.बी. पारोदीवाला और जरिस मोनोज मिश्र शामिल थे, ने कहा कि आगर

हड़ताली डॉक्टर्स का काम पर

5 बजे तक या उससे पहले आगर

कार्यवाही नहीं होगी जिसमें ट्रांसफर

लोग मारे जा चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को

निर्देश देते हुए जिला कलैक्टर व पुलिस अधीक्षक को

डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सी.डी.आई. द्वारा प्रस्तुत स्टेट्स रिपोर्ट

को पढ़ा और उसमें दर्ज सूबत के आधार पर 16 सितम्बर

को नई स्टेट्स रिपोर्ट देने को कहा। मामले की सुनवाई

17 सितम्बर को होगी।

बैंच ने कहा कि काम पर लौटने वाले

दिन से हड़ताल पर हैं। लाखों लोगों को

डॉक्टर्स के खिलाफ कोई दंडात्मक

इलाज नहीं मिल पाए हैं इसलिए 23

अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की

जाएगी। आगर डॉक्टर्स का काम पर नहीं

लौटते हैं तो हम राज्य सरकार को उनके

खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही

करने से बही रोक सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को याद

दिलाया कि वे चिकित्सा के क्षेत्र में हैं

पर नहीं लौटने से जनता को भारी

कोर्ट ने कहा, "सरकारी मैटिकल

परेशानी ही हो रही है। जूनियर डॉक्टर्स 28

कॉलेजों में डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित

परेशानी की सेवा करना है।

उनका काम लोगों की सेवा करना है।

प्रथम पृष्ठ का शेष

- सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिकारी कपिल सिङ्गल ने कहा, जूनियर डॉक्टर्स "हैल्थ केयर सिस्टम की बैक बोन" है। इनके काम पर नहीं आने से अनेकों लोगों की इलाज नहीं मिल रहा और 23 लोग मर चुके हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लौटने का निर्देश देते हुए जिला कलैक्टर व पुलिस अधीक्षक को डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने सी.डी.आई. द्वारा प्रस्तुत स्टेट्स रिपोर्ट को पढ़ा और उसमें दर्ज सूबत के आधार पर 16 सितम्बर को नई स्टेट्स रिपोर्ट देने को कहा। मामले की सुनवाई 17 सितम्बर को होगी।

बैंच ने कहा कि काम पर लौटने वाले दिन से हड़ताल पर हैं। लाखों लोगों को डॉक्टर्स के खिलाफ कोई दंडात्मक इलाज नहीं मिल पाए हैं इसलिए 23 अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। आगर डॉक्टर्स का काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी जिसमें ट्रांसफर लोग मारे जा चुके हैं।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से डॉक्टर्स के काम पर लौटने के लिए एक अधिकारी कपिल सिङ्गल को देखने के बाद कहा कि

सी.डी.आई. को मामले में कुछ सूबत मिले हैं। कोर्ट ने 16 सितम्बर तक एक

और स्टेट्स रिपोर्ट देने को कहा। अगली सुनवाई 17 सितम्बर को होगी।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोलकाता का

पुलिस ने एक आई.आर. दर्ज करने में

14 घंटे की देरी की। दो बारे सर्वज्ञत हैं

एक तो यह कि पीड़िता सैमीना हाँल में

आराम करने के बारे है और दूसरी बात

है कि उनके बारे हैं और उस करने के आसास की सक्रियता।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि

सभी सौशल मीडिया व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से पीड़िता की फोटो तुरंत हटा

दी जो पीड़िता की निजात व गरिमा की

पेश किया जा सके। इसके साथ ही

अदालत ने स्वायत्त शासन विभाग के

शहादत लिया जा सकता है। इसके

भी छूट दे दी।

पिछली सुनवाई पर अदालत ने

कहा था कि यह 6 सितम्बर को मेयर

मुख्य मंत्री के खिलाफ अधिकारी जन स्वीकृति द्वारा दिया गया है। वर्ती

मायाचिकार्ता के अधिकारी जन स्वीकृति को अनुराग

महिला ने कहा कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर अदालत ने बारे ही कहा था कि राज्य सरकार ने चार

महिले